



क्रमांक प. 22(16) प्रसू/सूअप्र/2010पार्ट


जयपुर, दिनांक: 19/07/19

परिपत्र

आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.2010 की ओर आकर्षित किया जाना समुचित है।


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) में जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब से आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250/-रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम 25000/-रूपये से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान किया हुआ है। परन्तु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने से पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावे।

यह प्रसंज्ञान में आया है कि अपील/परिवादों में माननीय सूचना आयोग द्वारा जो आर्थिक शास्ति आरोपित की जाती है, उसका भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि माननीय आयोग द्वारा आरोपित राशि, विभाग/निगम/लोक प्राधिकरणों के सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा कराई जावे।


(रवि शंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव